



उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगतसिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांक:- 114 / उ0व0बोर्ड / विविध-प्रबन्ध समिति, नियुक्ति / 2021-22 दिनांक- 14 दिसम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

वक्फ सम्पत्तियों में नियुक्त प्रबन्ध समितियों एवं प्रबन्ध समितियों हेतु नये प्रस्तावों एवं पंजीकरण प्रपत्र में पदाधिकारियों की लम्बी फेहरिस्त कार्यालय को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रायः देखने में आया है कि जिसमें से अधिकांश पदाधिकारी/सदस्य वक्फ के कार्यों में रूचि नहीं लेते या उनका नाम बिना उनकी सहमति से प्रबन्ध समिति में सम्मिलित कर कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जाता है।

2- भविष्य में औकाफ की प्रबन्ध समिति की नियुक्ति हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों में निम्नानुसार पद निर्धारित किये जाते हैं-

क्रम सं०	पदनाम	पदों की संख्या
01.	अध्यक्ष	01
02.	उपाध्यक्ष	01
03.	सचिव	01
04.	कोषाध्यक्ष	01
05.	सदस्य	03 से 07

3- ऐसे औकाफ जिनकी कुल सकल वार्षिक आय 01 लाख रुपये से कम हैं वहां अधिकतम 03 सदस्य एवं 01 लाख से उपर की सकल वार्षिक आय वाले औकाफ में सदस्यों की संख्या अधिकतम 07 हो सकती है। ऐसे औकाफ जहां वक्फनामों के मुताबिक अथवा मा० न्यायालय/बोर्ड की स्कीम के अनुसार कोई प्रबन्ध नियुक्त होने की व्यवस्था विद्यमान है उन औकाफ में उपरोक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(डॉ० अहमद इकबाल)  
आई०ए०एस०

प्रशासक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या- 114 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी/अपर वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/सहायक वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर) को छोड़कर।
5. वक्फ निरीक्षक, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
6. समस्त पटल सहायक, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड।
7. सहायक प्रोग्रामर, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को अधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।